

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड  
(आप.प्रक.क्रमांक :- 1305 / 2015)  
(संस्थित दिनांक :- 18 / 12 / 2015)

म.प्र. राज्य,  
 द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ।  
 जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

// विरुद्ध //

01. रामसागर शर्मा पुत्र रामप्रकाश शर्मा, उम्र 47 वर्ष।
  02. रामदत्त शर्मा पुत्र रामप्रकाश शर्मा, उम्र 34 वर्ष।
  03. अरुण शर्मा पुत्र रामप्रकाश शर्मा, उम्र 32 वर्ष।
- निवासीगण : ग्राम कतरौल, थाना-मौ, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।

..... अभियुक्तगण।

// निर्णय //

( आज दिनांक : 20 / 03 / 2018 को घोषित )

01. आरोपीगण रामदत्त एवं अरुण पर धारा 294 एवं 506 भाग II भा.द.सं. एवं आरोपी रामसागर पर धारा 294 एवं 506 भाग II भा.द.सं. एवं धारा 27 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपीगण दिनांक :- 03 / 08 / 2015 को दोपहर लगभग 02:00 बजे फरियादी आनन्द शर्मा का मकान स्थित मौजा कतरौल में, जो कि लोकस्थान के समीप एक स्थान है, फरियादी आनन्द को माँ-बहिन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, फरियादी आनन्द को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं आरोपी रामसागर ने, उसके आधिपत्य में एक 12 बोर की रायफल एवं 06 जिंदा कारतूस बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के रखकर धारा 03 आयुध अधिनियम का उल्लंघन किया एवं उक्त बन्दूक से फायर कर धारा 05 आयुध अधिनियम का उल्लंघन किया।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 03 / 08 / 2015 को दोपहर के समय गउचर में अपनी भैंसे चरा रहे फरियादी आनन्द शर्मा से आरोपी रामसागर द्वारा गाली-गलौच करने और तत्पश्चात् दोपहर लगभग 02:00 बजे फरियादी आनन्द शर्मा का मकान स्थित मौजा कतरौल में, आरोपीगण द्वारा गाली-गलौच करने, जान से मारने की धमकी देने एवं बन्दूक से हवाई फायर कर जीवन संकटापन्न करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी आनन्द

शर्मा द्वारा उसी दिनांक को थाना मौ पर की जाने पर, थाना मौ में आरोपीगण रामसागर, रामदत्त एवं अरुण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 192/2015 अन्तर्गत धारा 336, 294 एवं 506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। दिनांक : 08/08/2015 को आरोपी रामसागर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी रामसागर का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का ज्ञापन अंकित किया गया और उक्त ज्ञापन के अनुशरण में आरोपी रामसागर से घटना में प्रयुक्त 12 बोर की बन्दूक एवं 06 जिंदा कारतूस एवं दो खाली कारतूस जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। आरोपी रामसागर के विरुद्ध धारा 25/27 आयुध अधिनियम का इजाफा किया गया। दिनांक : 22/08/2015 को आरोपीगण अरुण शर्मा एवं रामदत्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना के दौरान फरियादी आनन्द शर्मा, साक्षीगण दयानन्द, किलेदार एवं शैलेन्द्र सिंह के कथन लेखबद्ध किये गये। जब्तशुदा बन्दूक एवं कारतूसों का परीक्षण कराया गया, जिला दण्डाधिकारी भिण्ड से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्तगण रामदत्त एवं अरुण के विरुद्ध धारा 294 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. एवं आरोपी रामसागर के विरुद्ध धारा 294 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. एवं धारा 27 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध का आरोप निर्मित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उनका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उन्होंने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए स्वयं को निर्दोष एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपीगण रामसागर, रामदत्त एवं अरुण ने दिनांक :- 03/08/2015 को दोपहर लगभग 02:00 बजे फरियादी आनन्द शर्मा का मकान स्थित मौजा कतरौल में, जो कि लोकस्थान के समीप एक स्थान है, फरियादी आनन्द को माँ-बहिन की अश्लील गालियों देकर क्षोभ कारित किया?

02. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी आनन्द को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

03. क्या आरोपी आरोपी रामसागर उक्त दिनांक समय एवं स्थान पर, उसके आधिपत्य में एक 12 बोर की रायफल एवं 06 जिंदा कारतूस बिना किसी

वैध अनुज्ञप्ति के रखकर धारा 03 आयुध अधिनियम का उल्लंघन किया एवं उक्त बन्दूक से फायर कर धारा 05 आयुध अधिनियम का उल्लंघन किया?

04. अंतिम निष्कर्ष?

**सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष**  
**विचारणीय बिन्दु क्रमांक : 01 लगायत 04**

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 04 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. इन विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में फरियादी आनन्द शर्मा अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी अरुण, रामदत्त एवं रामसागर को जानता है, उक्त सभी आरोपीगण उसके गांव के ही हैं। घटना 03 अगस्त 2014 के दोपहर लगभग 02 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि वह अपनी भैंसे गउचर में चरा रहा था, जब वह भैंसे चरा रहा था, उस समय रामसागर आये और उन्होंने भैंसे चराने से रोका। साक्षी आगे कहता है कि तब उसने रामसागर से कहा कि वह उसके खेत में भैंसे नहीं चरा रहा है। तब रामसागर ने उसे मादरचोद आदि मॉ-बहन की गालियाँ दी और रामसागर घर चला गया। फिर वह भैंसे लेकर उसके घर चला गया, फिर उसने घर पर भैंसे बांध दी थी। साक्षी आगे कहता है कि उसके बाद रामसागर, रामदत्त एवं अरुण तीनों भाई आये और उन्होंने आकर बन्दूकों से फायर किये, जिससे उसका एवं उसके परिवार का जीवन संकट में पड़ गया था और आरोपीगण ने उसे गालियाँ दी थी और आरोपीगण उससे बोले कि आज तो बच गये आइंदा जान से खत्म कर देंगे, जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस थाना मौ में की थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा-मौका उसके सामने बनाया था, जो प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था।

09. फरियादी आनन्द के भाई साक्षी दयानन्द अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी अरुण, रामदत्त एवं रामसागर को जानता है, उक्त सभी आरोपीगण उसके गांव के ही हैं। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 05/04/2016 से पिछले वर्ष अषाढ़ की है। साक्षी आगे कहता है कि उसका छोटा भाई शैलेन्द्र भैंसे चराने गया था, उसके भाई शैलेन्द्र शासकीय जमीन पर भैंसे चरा रहा था, तब रामसागर ने आकर उसके भाई शैलेन्द्र को रोका, तब रामसागर ने उसके भाई से कहा कि यहाँ भैंसे मत चराओ और कहा कि मादरचोद तुम यहाँ हार में आकर अपनी भैंसे चराते हो, तभी रामसागर ने कहा कि अभी थोड़ी देर में आते हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसके बाद रामसागर की भैंसे उसकी तिली की फसल में चर रही थी, जिन्हें वह भगाने

गया। जब वह रामसागर की भैंसे भगाकर वापस आ रहा था, तभी रामसागर, रामदत्त एवं अरुण उसके दरवाजे पर आ गये और गाली-गलौच करने लगे और बोले कि निकलो घर से। साक्षी आगे कहता है कि तभी रामसागर ने गोली दी और वह जमीन पर बैठ गया, उक्त गोली उसके मकान पर लगी थी, तभी रामदत्त ने लाठी मारी, जो शैलेन्द्र के लगी, तभी शैलेन्द्र ने रामदत्त की लाठी खींच ली। साक्षी आगे कहता है कि उसने वहाँ बैठकर सारी घटना देखी। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ की थी। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी दयानन्द अ.सा.03 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि आनन्द शर्मा भैंस चरा रहा था। साक्षी दयानन्द अ.सा.03 ने अभियोजन अधिकारी के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि रामसागर, अरुण एवं रामदत्त उसके भाई आनन्द शर्मा से गाली-गलौच करने लगे और बोले कि तेरी भैंसे उसके खेत में क्यों गई। साक्षी दयानन्द अ.सा.03 ने अभियोजन अधिकारी के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि रामसागर ने उसकी बन्दूक से फायर किया, जिससे वह लोग उसके घर में घुस गये एवं आरोपीगण कह रहे थे कि रिपोर्ट करने गये तो जान से खत्म कर देंगे।

10. साक्षी शैलेन्द्र शर्मा अ.सा.08 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी अरुण, रामदत्त एवं रामसागर को जानता है। घटना दिनांक : 03/08/2015 की दोपहर लगभग 02 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि वह एवं उसका भाई आनन्द शासकीय भूमि टेकराम हनुमान मंदिर के पास भैंसे चरा रहे थे, सोई रामसागर आया और बोला कि उसके खेत में भैंसे क्यों चरा रहे हो, तुम्हारी भैंसे नहीं चरेगी और रामसागर गाली देने लगा। साक्षी आगे कहता है कि उसने कहा कि शासकीय भूमि है, सोई आरोपी रामसागर बोला कि तुझे देखता हूँ और गाली देकर घर चला गया। उसके बाद आरोपी रामसागर, रामदत्त एवं अरुण उसके घर पर बन्दूक एवं फरसा लेकर आ गये और उन्होंने मादरचोद की गालियाँ दी और रामसागर ने बन्दूक से फायर कर दिया, जो उसके घर की दीवाल पर लगा। साक्षी आगे कहता है कि फायर करने से उसके प्राण संकट में पड़ गये और आरोपीगण वहाँ से चले गये और बोल गये कि आज तो छोड़ दिया, अबकी बार नहीं छोड़ेंगे।

11. फरियादी आनन्द शर्मा अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह गउचर में भैंसे चरा रहा था, जब रामसागर ने उसे गालियाँ दी। जबकि उसके सगे भाई दयानन्द अ.सा.03 का उसके मुख्य परीक्षण में कहना है कि शासकीय जमीन पर भैंसे उसका भाई शैलेन्द्र अ.सा.08 चरा रहा था, जब आरोपी रामसागर ने उसे गालियाँ दी और भैंसे चराने से रोका। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी दयानन्द अ.सा.03 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि आरोपित घटना के समय आनन्द शर्मा भैंस चरा रहा था। जबकि आनन्द एवं दयानन्द के सगे भाई शैलेन्द्र अ.सा.08 का उसके मुख्य परीक्षण में कहना है कि वह और आनन्द दोनों भैंसे चरा रहे थे, तब रामसागर द्वारा उन्हें भैंसे चराने से रोका गया और

गालियाँ दी गई। आनन्द द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में केवल आनन्द के गउचर में भैसे चराने का उल्लेख है, ना कि आनन्द एवं शैलेन्द्र दोनों के या केवल शैलेन्द्र के भैसे चराने का। इस प्रकार उक्त तथ्यों के संबंध में फरियादी आनन्द शर्मा अ.सा.01, दयानन्द अ.सा.03 एवं शैलेन्द्र अ.सा.08 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा आनन्द के द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

12. फरियादी आनन्द अ.सा.01 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने पुलिस कथन देते समय जो उसकी दीवाल पर बन्दूक की गोली लगने की बात बताई है, वह बात प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 लिखाते समय नहीं बताई थी। साक्षी आगे कहता है कि उसने झिझक की बजह से उक्त बात नहीं बताई थी। आरोपित घटना के समय दीवाल में आरोपी रामसागर द्वारा चलाई गई गोली लगने का तथ्य एक ऐसा सारवान तथ्य है, जिसका उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में अवश्य ही होना चाहिए था, जो कि नहीं है। विवेचना के दौरान उक्त दीवाल में गोली लगने से हुये किसी छेद अथवा निशान का कोई फोटोग्राफ लिये जाने का उल्लेख भी विवेचक पुरुषोत्तम अ.सा.05 द्वारा उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में नहीं किया गया। जबकि फरियादी आनन्द अ.सा.01 ने उसके मुख्य परीक्षण एवं उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में भी आरोपी रामसागर द्वारा चलाई गई कोई गोली उसकी दीवाल में लगने संबंधी तथ्य दर्शित नहीं किये हैं। ऐसी दशा में आनन्द अ.सा.01 द्वारा प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में इस वावत् दर्शित तथ्य कि रामसागर द्वारा चलाई गई गोली उसकी दीवाल में लगी थी, सत्य प्रतीत नहीं होता है।

13. मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 02 में फरियादी आनन्द के सगे भाई दयानन्द अ.सा.03 ने यह दर्शित किया है कि आरोपी रामसागर ने गोली मारी, तो वह जमीन पर बैठ गया और गोली उसके मकान पर लगी, तभी आरोपी रामदत्त ने शैलेन्द्र को लाठी मारी, तो शैलेन्द्र ने रामदत्त की लाठी खींच ली। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में दयानन्द अ.सा.03 ने यह दर्शित किया है कि उसने घर में गोली लगने वाली बात पुलिस कथन प्र.डी.02 में लिखा दी थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में दयानन्द अ.सा.03 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आरोपी रामदत्त ने शैलेन्द्र को लाठी मारी और उक्त लाठी शैलेन्द्र ने छीन ली, वाली बात उसने पुलिस कथन प्र.डी.02 में नहीं बताई थी। दयानन्द अ.सा.03 के पुलिस कथन प्र.डी.02 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसमें आरोपी रामदत्त द्वारा शैलेन्द्र अ.सा.08 को लाठी मारने अथवा आरोपी रामसागर द्वारा बन्दूक से गोली मारने और उक्त गोली फरियादी आनन्द के मकान की दीवाल पर लगने संबंधी तथ्यों का कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार इस वावत् दयानन्द अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं उसके पुलिस कथन प्र.डी.02 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जो कि इस वावत् अभियोजन कथा की सत्यता को संदेहास्पद बनाता हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि फरियादी

आनन्द अ.सा.01 अथवा शैलेन्द्र अ.सा.08 ने उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में आरोपी रामदत्त द्वारा शैलेन्द्र अ.सा.08 की मारपीट किये जाने संबंधी कोई तथ्य दर्शित नहीं किये हैं। इस प्रकार इस वावत् आनन्द अ.सा.01, दयानन्द अ.सा.03 एवं शैलेन्द्र अ.सा.08 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

14. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में फरियादी आनन्द के सगे भाई दयानन्द अ.सा.03 ने यह दर्शित किया है कि वह घटना के बाद रिपोर्ट करने थाने नहीं गया था। उसके पुलिस कथन प्र.डी.02 में आनन्द के साथ रिपोर्ट करने थाने जाने वाली बात उसने नहीं लिखाई थी, पुलिस ने कैसे लिख ली कारण नहीं बता सकता, जबकि उसके पुलिस कथन प्र.डी.02 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उसमें हम लोग आनन्द के साथ थाने रिपोर्ट करने को गये, वाक्यांश का उल्लेख है। इस प्रकार इस वावत् दयानन्द अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं उसके पुलिस कथन प्र.डी.02 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

15. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में फरियादी आनन्द के सगे भाई शैलेन्द्र अ.सा.08 जो कि कथित रूप से घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है, ने यह दर्शित किया है कि आरोपी रामसागर ने तीन गोलियाँ चलाई थी। साक्षी आगे कहता है कि उक्त बात उसने अपने पुलिस कथन प्र.डी.03 में लिखा दी थी, अथवा नहीं, उसे यह याद नहीं है। उसके पुलिस कथन प्र.डी.03 में उक्त तथ्यों का कोई उल्लेख नहीं है। फरियादी आनन्द अ.सा.01 एवं दयानन्द अ.सा.03 ने भी उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य अथवा आनन्द द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में आरोपी रामसागर द्वारा आरोपित घटना में तीन गोलियाँ चलाये जाने संबंधी तथ्य का कोई उल्लेख नहीं किया है, इस प्रकार इस वावत् आनन्द अ.सा.01, दयानन्द अ.सा.03 एवं शैलेन्द्र अ.सा.08 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं आनन्द द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जो कि अभियोजन कथा की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है।

16. फरियादी आनन्द अ.सा.01 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में यह दर्शित किया है कि उसके गांव कतरौल से थाना मौ की दूरी लगभग 13 किलोमीटर है और वह गांव से रिपोर्ट करने दोपहर 03:00 बजे मार्शल गाड़ी से निकला था। साक्षी आगे कहता है कि उसे थाना पहुँचने में लगभग 15-20 मिनट का समय लगा था और रिपोर्ट प्र.पी.01 उसके द्वारा 05:00 बजे लेखबद्ध कराई गई थी। उल्लेखनीय है कि आनन्द अ.सा.01 द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के कॉलम नम्बर 08 में रिपोर्ट लिखने में विलम्ब का कारण पैदल आना उल्लेखित है। जबकि आनन्द अ.सा.01 मार्शल गाड़ी से रिपोर्ट करने जाना दर्शित करता है। उल्लेखनीय यह भी है कि वह गांव से 03:00 बजे निकलकर 15-20 मिनट में अर्थात् लगभग दोपहर 03:20 बजे तक थाना मौ पहुँचना दर्शित करता है और रिपोर्ट लगभग 05:00 बजे लिखाना दर्शित करता है। जबकि रिपोर्ट प्र.पी.01 में रिपोर्ट लिखे जाने का समय 17:30 अर्थात् 05:30 बजे का होना अंकित है। ऐसी दशा में फरियादी आनन्द 03:20 बजे से 05:30 बजे तक

दो घण्टे 10 मिनट रिपोर्ट ना लिखाकर थाने पर क्या करता रहा, यह उसके द्वारा न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में स्पष्ट नहीं किया गया है। इस वावत् यह भी उल्लेखनीय है कि आनन्द के भाई शैलेन्द्र अ.सा.08 ने यह दर्शित किया है कि रिपोर्ट करने के लिए वह एवं उसका भाई आनन्द 05:30 बजे थाना मौ गये थे। घटना के तुरन्त बाद थाने नहीं गये थे, क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं था। इस प्रकार आनन्द एवं शैलेन्द्र घटना की रिपोर्ट करने किस साधन से और कितने बजे थाना मौ गये एवं पहुँचे, इस वावत् आनन्द अ.सा.01 एवं शैलेन्द्र अ.सा.08 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

17. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में फरियादी आनन्द अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आरोपीगण से जमीनी विवाद के संबंध में पूर्व से उनकी रंजिश चली आ रही है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में दयानन्द अ.सा.03 ने एवं प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में शैलेन्द्र अ.सा.08 ने भी आरोपीगण से उनकी पूर्व से रंजिश चली आ रही होने संबंधी तथ्य दर्शित किये हैं और रंजिश एक ऐसा तथ्य है, जिसके कारण आरोपीगण द्वारा आरोपित घटना कारित करना जितना संभव है, उतना ही फरियादी एवं साक्षीगण द्वारा उनकी झूठी रिपोर्ट करना संभव है।

18. अभियोजन साक्षी बलवीर अ.सा.07 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 03/08/2015 को पुलिस थाना मौ में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी आनन्द शर्मा द्वारा उसके भाई शैलेन्द्र के साथ थाना आकर आरोपी रामसागर, रामदत्त, अरुण कुमार के विरुद्ध बन्दूक से हवाई फायर कर जीवन खतरे में डालने, गाली-गलौच करने एवं जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट करने पर उसके द्वारा उक्त आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 192/2015 अन्तर्गत धारा 294, 336 एवं 506 भाग II भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 लेखबद्ध की थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् केस डायरी विवेचना हेतु प्रधान आरक्षक पुरुषोत्तम को सौंप दी थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में बलवीर अ.सा.07 ने यह दर्शित किया है कि एफआईआर में विलम्ब का कारण अर्थात् पैदल आना उसने फरियादी के बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। जबकि फरियादी आनन्द अ.सा.01 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में ना तो पैदल आने संबंधी तथ्य दर्शित किया है, ना ही विलम्ब से आने का तथ्य दर्शित किया है। इस प्रकार इस वावत् आनन्द अ.सा.01 एवं बलवीर अ.सा.07 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य विरोधाभास है, जो अभियोजन कथा की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है।

19. अभियोजन साक्षी पुरुषोत्तम अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक 06/08/2015 को पुलिस थाना मौ में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना मौ के अपराध क्रमांक 192/2015 अन्तर्गत धारा 294, 336 एवं 506 भाग II सहपठित धारा 34

भा.द.सं. की एफआईआर विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। उक्त दिनांक को उसने फरियादी आनन्द शर्मा के बताये अनुसार घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया था। उसके द्वारा दयानन्द, किलेदार, शैलेन्द्र एवं आनन्द के बताये अनुसार कथन लेख किये गये थे। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक : 08/08/2015 को आरोपी रामसागर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.05 बनाया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तथा उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी रामसागर का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का ज्ञापन लेने पर साक्षी ने स्वेच्छया बताया था कि जिस बन्दूक से उसने फायर किया है, वह बन्दूक टूट गई थी, जिसमें उसने अपने घर के बक्सा में छिपा कर रख दिया है, चलो चलकर बरामद कराये देता हूँ, उक्त मैमों प्र.पी.06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त दिनांक को आरोपी के घर पर ग्राम कतरौल से आरोपी द्वारा प्रस्तुत करने पर एक 12 बोर की बन्दूक, जो हाथ से बनी हुई थी, टूटी हालत में जिसके चेम्बर में 12 बोर का राउण्ड फसा हुआ था, तथा उसके विलडोरिया में 05 राउण्ड लगे थे एवं दो खाली राउण्ड के खोखे लगे थे, जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.07 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक : 22/08/2015 को आरोपी अरुण, रामदत्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा क्रमशः प्र.पी.08 एवं प्र.पी.09 के बनाये थे, जिनके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं विवेचना पूर्ण होने के उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

20. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में पुरुषोत्तम अ.सा.05 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.07 द्वारा जो बन्दूक उसने जब्त की है, वह चलने योग्य नहीं थी। आयुध परीक्षक सुनील बौहरे अ.सा.04 ने भी उसके मुख्य परीक्षण में यह दर्शित किया है कि जांचशुदा बन्दूक की बैरल एवं बाड़ी दो अलग-अलग हिस्सों में उसे प्राप्त हुई थी, जिसे जोड़कर उसके द्वारा बन्दूक का एक्शन चैक किया गया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में सुनील बौहरे अ.सा.04 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब बन्दूक उसे जांच हेतु प्राप्त हुई थी, तब वह दो हिस्सों में होने के कारण संचालन योग्य नहीं थी। उपरोक्त विवेचना से यह प्रकट होता है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.07 के माध्यम से जब्तशुदा बन्दूक टूटी हुई होने के कारण संचालन योग्य अवस्था में नहीं थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में पुरुषोत्तम अ.सा.05 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा बन्दूक के चलाये जाने के संबंध में फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी से कोई जांच नहीं कराई गई। इस वावत् यह उल्लेखनीय है कि विवेचक पुरुषोत्तम अ.सा.05 को घटनास्थल से चलाये गये कारतूसों के खोखे अथवा उनसे निकले छर्रे जब्त करने चाहिए थे और उन्हें एवं जब्तशुदा बन्दूक को फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी भेजकर इस वावत् जांच कराई चाहिए थी कि क्या उक्त खोखे अथवा छर्रे जब्तशुदा बन्दूक से ही चले हैं, अथवा नहीं। जबकि ऐसी कोई जांच विवेचक पुरुषोत्तम अ.सा.05 द्वारा नहीं कराई गई और उक्त जांच ना कराने का कारण भी पुरुषोत्तम अ.सा.05 द्वारा साक्ष्य के दौरान दर्शित नहीं किया गया।



21. अभियोजन साक्षी महेन्द्र भदौरिया अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 14/10/2015 को जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में आर्म्स लिपिक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस अधीक्षक भिण्ड के पत्र क्रमांक 238/2015, दिनांक : 30/09/2015 द्वारा थाना मौ के अपराध क्रमांक 192/2015 से संबंधित केस डायरी एवं मोहरबंद आयुध प्रधान आरक्षक क्रमांक 501 रामराज द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर अवलोकन पश्चात् जिला दण्डाधिकारी श्री मधुकर आग्नेय द्वारा अभियुक्त रामसागर शर्मा पुत्र रामप्रकाश शर्मा, निवासी ग्राम कतरौल, के कब्जे से एक 12 बोर की रायफल टूटी हुई, जिसके चेम्बर में एक राउण्ड कसा था, हाथ से बनी हुई थी एवं एक बिलडोरिया, जिसमें पाँच जिंदा कारतूस एवं दो खाली खोखा अवैध रूप से पाये जाने के कारण अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त अभियोजन स्वीकृति प्र.पी.10 है, जिसके ए से ए भागों पर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी श्री मधुकर आग्नेय के हस्ताक्षर हैं एवं बी से बी पर उसके लघु हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसने तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी मधुकर आग्नेय के अधीनस्थ के रूप में लम्बे समय तक कार्य किया है, इसलिए वह उनके हस्तलेख एवं हस्ताक्षर को पहचानता है। आर्म्स लिपिक महेन्द्र भदौरिया अ.सा.06 ने भी उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में अभियोजन स्वीकृति के लिए प्राप्त 12 बोर की बन्दूक का टूटे हुये होने का उल्लेख किया है। साक्षी महेन्द्र भदौरिया अ.सा.06 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि अभियोजन स्वीकृति प्र.पी.10 के तथ्यों से भी हो रही है। साक्षी महेन्द्र भदौरिया अ.सा.06 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरान्त भी तत्त्विक रूप से अखण्डित रहा है। उक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि आरोपी रामसागर के विरुद्ध अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति विधिवत् प्रदान की गई थी।

22. अभियोजन साक्षी सुनील बौहरे अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 10/09/2015 को पुलिस लाईन भिण्ड में आरक्षक आरमोरर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना मौ के अपराध क्रमांक 192/2015 अन्तर्गत धारा 336, 294, 506 भाग II सहपठित धारा 34 भा.द.सं. एवं धारा 25/27 आर्म्स एक्ट में एक जब्तशुदा एक 12 बोर की देशी बन्दूक एवं आठ 12 बोर के कारतूस की जांच उसके द्वारा की गई थी। साक्षी आगे कहता है कि जांच के दौरान बन्दूक की बैरल एवं बॉडी दो-दो अलग हिस्सों में प्राप्त हुई थी, जिसकी बैरल में एक जिंदा कारतूस लगा हुआ था, जिसे उसके द्वारा निकाला गया। साक्षी आगे कहता है कि 12 बोर बन्दूक को जोड़कर जांच के दौरान बन्दूक का एक्शन चैक किया, एक्शन सही पाया गया। बन्दूक चालू हालत में थी, जिससे फायर किया जा सकता था। चार 12 बोर के जिंदा कारतूस, 01 नम्बर एवं 03 खाली खोखा की जांच उसके द्वारा की गई। चार 12 बोर के कारतूस एवं 01 नम्बर कारतूस चालू में थे, जिससे फायर किया जा सकता था, चार 12 बोर के जिंदा कारतूसों की पैदी पर शक्तिमान एक्सप्रेस लिखा था एवं एक नम्बर कारतूस की पैदी पर बी.ए.ए.एम एक्सप्रेस लिखा था। साक्षी आगे कहता है कि थाना मौ से प्रधान आरक्षक क्रमांक 869 सुल्तान के द्वारा

थाना प्रभारी की तहरीर पंचनामा एवं एफआईआर, जब्ती की नकल साथ में प्राप्त हुई थी। बन्दूक एवं कारतूस एक साथ एक सफेद कपड़ा में सीलबंद जांच हेतु प्राप्त हुये, बाद जाँच कर नमूना सील लगाकर उसी कपड़ा में सीलबंद कर पुनः थाना वापस किया गया, इस वावत् उसके द्वारा दी गई आयुध जांच रिपोर्ट प्र.पी. 04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

23. साक्षी सुनील बौहरे अ.सा.04 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में यह दर्शित किया है कि ऐसा नहीं हुआ था कि जांचशुदा बन्दूक टूटी हुई हालत में हो। जबकि जब्ती पत्रक प्र.पी.07 में जब्तशुदा बन्दूक के टूटी हुई हालत में होने का उल्लेख है। इस प्रकार इस वावत् सुनील अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं जब्ती पत्रक प्र.पी.07 के तथ्यों के मध्य विरोधाभास है। साक्षी सुनील बौहरे अ.सा.04 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा जांच के दौरान जांचशुदा बन्दूक से फायर करके नहीं देखा गया। अभियोजन साक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं हुआ है कि आरोपी रामसागर से जब्तशुदा 12 बोर की बन्दूक दुनाली बन्दूक थी, इसका अर्थ यह है कि प्रकरण में कथित रूप से आरोपी से जब्तशुदा एवं जांचशुदा बन्दूक इकनाली 12 बोर की बन्दूक थी, जिसमें की 10/09/2015 को सुनील बौहरे अ.सा.04 द्वारा की गई आयुध जांच एवं 14/10/2015 को जिला दण्डाधिकारी भिण्ड द्वारा दी गई अभियोजन स्वीकृति के दौरान एक कारतूस फसा हुआ था। ऐसी दशा में सुनील बौहरे अ.सा.04 द्वारा साक्ष्य के दौरान दर्शित यह तथ्य सत्य प्रतीत नहीं होता कि उसके द्वारा उक्त जब्तशुदा बन्दूक के दोनों हिस्सों को जोड़कर उसका एक्शन चैक किया गया था। यदि सुनील अ.सा.04 द्वारा एक्शन चैक किया जाता तो जब्तशुदा एवं जांचशुदा आयुध के बैरल में फसा कारतूस फायर हो जाता और अभियोजन स्वीकृति के दौरान दिनांक : 14/10/2015 को उक्त कारतूस बन्दूक की बैरल में फसा हुआ नहीं पाया जाता। इस प्रकार इस वावत् सुनील बौहरे अ.सा.04 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य संदेहास्पद प्रतीत होता है।

24. घटना के कथित चक्षुदर्शी साक्षी किलेदार अ.सा.02 ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

25. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण रामदत्त, रामसागर एवं अरुण ने दिनांक : 03/08/2015 को दोपहर लगभग 02:00 बजे फरियादी आनन्द शर्मा का मकान स्थित मौजा कतरौल में, जो कि लोकस्थान के समीप एक स्थान है, फरियादी आनन्द को माँ-बहिन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, फरियादी आनन्द को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं आरोपी रामसागर ने, उसके आधिपत्य में एक 12 बोर की रायफल एवं 06 जिंदा कारतूस बिना

किसी वैध अनुज्ञप्ति के रखकर धारा 03 आयुध अधिनियम का उल्लंघन किया एवं उक्त बन्दूक से फायर कर धारा 05 आयुध अधिनियम का उल्लंघन किया।

### अंतिम निष्कर्ष

26. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपीगण रामदत्त एवं अरुण के विरुद्ध धारा 294 एवं 506 भाग II भा.द.सं. एवं आरोपी रामसागर के विरुद्ध धारा 294 एवं 506 भाग II भा.द.सं. एवं धारा 27 आयुध अधिनियम का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्तगण रामदत्त एवं अरुण को धारा 294 एवं 506 भाग II भा.द.सं. एवं आरोपी रामसागर को धारा 294 एवं 506 भाग II भा.द.सं. एवं धारा 27 आयुध अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

27. अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

28. प्रकरण में जब्तशुदा 12 बोर की बन्दूक एवं 06 जिंदा कारतूस एवं दो खाली कारतूस अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को प्रेषित कर व्ययनित किये जायें। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के व्ययन संबंधी आदेश का पालन किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।  
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद